संविधान

और

संविधान के अंतर्गत नियम

संविधान

धारा 1

नाम

पार्टी का नाम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) होगा।

धारा 2

उद्देश्य

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भारत के मजदूर वर्ग का क्रांतिकारी अगुआ दस्ता है। उसका उद्देश्य है सर्वहारा के अधिनायकत्व के राज्य की स्थापना के जरिये समाजवाद और साम्यवाद तक पहुंचना। पार्टी अपनी सारी गतिविधियों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के दर्शन और सिद्धांतों से निर्देशित है, जो मेहनतकश जनता को मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण खत्म करने और अपनी पूर्ण मुक्ति का सही रास्ता दिखानेवाला एकमात्र दर्शन है। पार्टी सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद रखती है।

धारा 3

झंडा

पार्टी का झंडा लाल झंडा होगा, जिसकी लम्बाई चौड़ाई की डेढ़गुनी होगी। झंडे के बीच में सफेद रंग में परस्पर आर-पार हंसिया और हथौड़ा होगा।

धारा 4

सदस्यता

1. भारत में रहनेवाला कोई भी व्यक्ति, जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो, जो पार्टी के कार्यक्रम तथा संविधान को स्वीकार करता हो और पार्टी संगठनों में से किसी एक में काम करने के लिए, नियमित रूप से पार्टी सदस्यता चंदा (फीस तथा लेवी जैसी तय की जाय) देने के लिए तथा पार्टी के फैसलों को पूरा करने के लिए तैयार हो, पार्टी का सदस्य बन सकता है।

2. (अ) पार्टी में नयी भर्ती के लिए इच्छुक व्यक्ति व्यक्तिगत प्रार्थना-पत्र देगा, जिस पर दो पार्टी सदस्यों की सिफारिश होने पर भर्ती होगी। प्रार्थी की सिफारिश करनेवाले सदस्य पूरी जिम्मेदारी से और अपनी व्यक्तिगत जानकारी से संबद्ध पार्टी ब्रांच या इकाई को प्रार्थी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर प्रार्थी को पार्टी में भर्ती करना हो तो पार्टी ब्रांच, खुद से ठीक ऊपर की कमेटी से सिफारिश करेगी। सारी सिफारिशों पर फैसला उच्चर कमेटी लेगी।

(ब) पार्टी ब्रांच से ऊपर, केंद्रीय कमेटी के स्तर तक, हर कमेटी को नये सदस्यों को सीधे पार्टी में भर्ती करने का अधिकार होगा।

3. (अ) पार्टी सदस्यता की सारी अर्जियां प्राप्त हेाने और सिफारिश किये जाने के एक महीने के अन्दर-अन्दर, उपयुक्त कमेटी के सामने पेश कर दी जायेंगी।

(ब) अगर प्रार्थी को पार्टी में भर्ती कर लिया जाता है, तो भर्ती किये जाने जाने की तारीख से एक साल तक उसे उम्मीदवार सदस्य माना जायेगा।

4. अगर किसी अन्य पार्टी से स्थानीय, जिला या राज्य स्तर का कोई नेता पार्टी में आना चाहता है तो उसे भर्ती करने के स्थानीय या जिला या राज्य पार्टी कमेटी के अलावा अगली उच्चतर पार्टी कमेटी का अनुमोदन जरूरी होगा।

5. एक बार पार्टी से निकाले गये व्यक्तियों को, उनके निष्कासन का अनुमोदन करनेवाली पार्टी कमेटी या किसी उच्चतर पार्टी कमेटी के फैसले से ही, दोबारा भर्ती किया जा सकता है।

6. उम्मीदवार सदस्यों के वही कर्तव्य और अधिकार होंगे, जो पूर्ण पार्टी सदस्यों के होंगे। उन्हें सिर्फ चुनने या चुने जाने और किसी प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

7. उम्मीदवार सदस्यों की भर्ती की सिफारिश करनेवाली पार्टी ब्रांच या उन्हें भर्ती करनेवाली पार्टी कमेटी पार्टी कार्यक्रम, संविधान तथा पार्टी की मौजूदा नीतियों पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी और पार्टी ब्रांच या इकाई के सदस्यों के रूप में काम करने का मौका देकर उनके विकास पर निगाह रखेगी।

8. उम्मीदवारी की अवधि के अंत में संबद्ध पार्टी ब्रांच या कमेटी विचार करेगी कि उम्मीदवार पूर्ण पार्टी सदस्यता के योग्य है या नहीं। अगर कोई उम्मीदवार सदस्य अयोग्य पाया जाता है, तो पार्टी ब्रांच या कमेटी उसकी उम्मीदवार सदस्यता रद्द कर देगी। ब्रांच या संबद्ध पार्टी कमेटी नियमित रूप से उच्चतर कमेटी को पूर्ण सदस्यता दिये जाने की रिपोर्ट देगी।

9. रिपोर्ट पर विचार करके उच्चतर कमेटी, रिपोर्ट देनेवाली ब्रांच या कमेटी से मशविरा करने के बाद, ऐसे किसी भी फैसले को बदल सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। उम्मीदवारों की भर्ती तथा पूर्ण सदस्यता दिये जाने के मामलों में जिला या राज्य कमेटी अपने निरीक्षण करने के अधिकार का इस्तेमाल करेगी और इस मामले में उसे निचली कमेटियों के फैसले को बदलने या रद्द करने का अधिकार होगा।

10. कोई पार्टी सदस्य अपनी इकाई के अनुमोदन से और अपनी इकाई के जरिये उस उच्चतर इकाई को प्रार्थनापत्र भेजकर, जिसके क्षेत्राधिकार में संबद्ध इकाइयां काम कर रही हों, एक इकाई से दूसरी इकाई में अपनी सदस्यता का स्थानांतरण करा सकता है।

धारा 5

पार्टी शपथ

पार्टी में भर्ती होने वाले हर व्यक्ति को इस पार्टी शपथ पर हस्ताक्षर करने होंगे: ''पार्टी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को स्वीकार करता हूँ और उसके संविधान का पालन करने तथा पार्टी के फैसलों को वफादारी से लागू करने को तैयार हूँ।''

''मैं साम्यवाद के आदर्शों पर चलने की चेष्टा करूँगा और हमेशा पार्टी तथा जनता के हितों को अपने निजी हितों से ऊपर रखकर नि:स्वार्थ भाव से मजदूर वर्ग, मेहनतकश जनता तथा देश की सेवा करूँगा।''

धारा 6

पार्टी सदस्यता रिकार्ड

पार्टी सदस्यता के सारे कागजात (रिकार्ड) जिला कमेटी की देखरेख में रखे जायेंगे।

धारा 7

पार्टी सदस्यता की जांच

1. संबद्ध पार्टी संगठन द्वारा हर सदस्य की पार्टी सदस्यता की सालाना जांच की

जायेगी। जिस सदस्य ने बिना किसी उचित कारण के एक अर्से तक पार्टी-जीवन तथा पार्टी की गतिविधियों में लगातार हिस्सा नहीं लिया है या पार्टी का देय धन नहीं दिया है, उसे पार्टी सदस्यता से अलग कर दिया जायेगा।

2. संबद्ध ब्रांच या पार्टी कमेटी पुष्टिकरण और पंजीकरण के लिए अगली उच्चतर कमेटी को पार्टी सदस्यता की जांच की रिपोर्ट भेजेगी।

धारा 8

पार्टी सदस्यता से इस्तीफा

1. कोई पार्टी सदस्य अगर पार्टी सदस्यता छोड़ना चाहता है, तो उसे संबद्ध ब्रांच या पार्टी इकाई को अपना इस्तीफा देना होगा, संबद्ध पार्टी इकाई उसका इस्तीफा मंजूर कर सकती है और सदस्यता सूची से उसका नाम काटने का फैसला ले सकती है तथा वह अपने से अगली ऊंची कमेटी को इसकी रिपोर्ट देगी। अगर इस्तीफा राजनीतिक कारणों से दिया गया है तो इकाई उसे नामंजूर कर सकती है और सदस्य को पार्टी से निष्कासित कर सकती है।

2. ऐसे मामलों में जहां इस्तीफा देने के इच्छुक पार्टी सदस्य पर पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के ऐसे गंभीर आरोप लगाये जा सकते हैं, जिनके लिए उसे पार्टी से निकाला जा सकता है और जहां ऐसे आरोप के पर्याप्त आधार हों, इस्तीफे को पार्टी से निष्कासन का रूप दिया जा सकता है।

3. इस्तीफे की जगह निष्कासन के ऐसे सारे मामलों की सूचना फौरन अगली ऊंची कमेटी को दी जायेगी और उसकी पुष्टि के बाद ही ये फैसले पक्के माने जायेंगे।

धारा 9

सदस्यता फीस

1. सभी पार्टी सदस्यों और उम्मीदवारों को 5 रुपये सालाना पार्टी सदस्यता फीस देनी होगी। संबद्ध सदस्य को पार्टी में भर्ती के समय और उसके बाद हर साल मार्च तक ब्रांच या इकाई के सचिव को यह सालाना फीस देनी होगी। अगर कोई सदस्य सही समय पर अपनी फीस अदा नहीं करता है, तो पार्टी सूची से उसका नाम काट दिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में, अगर जरूरी हो तो, केंद्रीय कमेटी यह तारीख बढ़ा सकती है।

2. पार्टी ब्रांचों या इकाइयों द्वारा सदस्यों से इकट्ठी की गई सारी सदस्यता फीस संबद्ध पार्टी कमेटियों के मार्फत केंद्रीय कमेटी के पास जमा कर दी जायेगी।

धारा 10

पार्टी लेवी

हर पार्टी सदस्य को हर महीने केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित पार्टी लेवी देनी होगी। जिन लोगों की आय सालाना या मौसमी है, वे मौसम के शुरू में या हर तिमाही के शुरू में उसी प्रतिशत के हिसाब से लेवी देंगे। अगर कोई सदस्य लेवी बकाया होने के तीन महीने के अंदर लेवी जमा नहीं करता है, तो उसका नाम पार्टी सदस्यता से काट दिया जायेगा

धारा 11

पार्टी सदस्यों के कर्तव्य

1. पार्टी सदस्यों के कर्तव्य इस प्रकार होंगे :

(क) जिस पार्टी संगठन से संबद्ध हों, उसकी गतिविधियों में नियमित रूप से हिस्सा लेना और पार्टी की नीति, फैसलों तथा निर्देशों पर वफादारी से अमल करना,

(ख) मार्क्सवाद-लेनिनवाद का अध्ययन करना और अपनी समझ का स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश करना,

(ग) पार्टी पत्र-पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों को पढ़ना, उन्हें समर्थन देना और उनका प्रचार करना;

(घ) पार्टी संविधान तथा पार्टी अनुशासन का पालन करना और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद तथा साम्यवाद के उच्च आदर्शों के अनुरूप आचरण करना;

(ङ) जनता और पार्टी के हितों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखना;

(च)निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करना और उसके साथ अपने संबंध लगातार मजबूत करना, जनता से सीखना और पार्टी को उसकी राय तथा मांगों की जानकारी देना, पार्टी के निर्देशन में किसी जनसंगठन में काम करना, बशर्ते पार्टी ने इस काम से बरी न किया हो;

(छ) परस्पर कामरेडाना संबंध बनाना और पार्टी के अंदर लगातार बिरादराना भावना विकसित करना;

(ज) एक-दूसरे की मदद करने और व्यक्तिगत तथा सामूहिक काम को बेहतर बनाने की नजर से आलोचना और आत्मालोचना करना;

(झ)पार्टी के प्रति खरा, ईमानदार और सच्चा रहना और पार्टी का विश्वास न तोड़ना;

(ञ) पार्टी की एकता तथा सुदृढ़ता की रक्षा करना और मजदूर वर्ग के तथा देश

के दुश्मनों से सतर्क रहना;

(ट) पार्टी की रक्षा करना और पार्टी, मजदूर वर्ग तथा देश के दुश्मनों के हमलों से पार्टी के उद्देश्य की रक्षा करना।

2. यह काम पार्टी संगठन का है कि वह सदस्यों द्वारा उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करे और इन कर्तव्यों के निर्वाह में सदस्यों की हर मुमकिन मदद करे।

धारा 12

पार्टी सदस्यों के अधिकार

1. पार्टी सदस्यों के अधिकार इस प्रकार होंगे :

(क) पार्टी संगठनों और कमेटियों को चुनना और उनके लिए चुना जाना;

(ख) पार्टी नीति के निर्धारण तथा पार्टी के फैसलों में अपनी हिस्सेदारी के लिए बहस में हिस्सा लेना;

(ग) पार्टी में अपने काम के बारे में प्रस्ताव रखना;

(घ) पार्टी की बैठकों में पार्टी कमेटियों और पार्टी पदाधिकारियों की आलोचना करना;

(ङ) जब पार्टी इकाई में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर बहस हो, तो उसमें खुद उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना;

(च) सांगठनिक मामले में पार्टी कमेटी के किसी फैसले से अगर कोई सदस्य असहमत है तो उसे उच्चतर कमेटी को अपनी राय भेजने का अधिकार होगा। राजनीतिक मतभेदों के मामले में कोई भी सदस्य केंद्रीय कमेटी के स्तर तक किसी भी उच्चतर कमेटी को अपनी राय भेज सकता है। निस्संदेह, ऐसे सभी मामलों में पार्टी सदस्य पार्टी के फैसलों को लागू करेगा और व्यवहार की कसौटी पर तथा कामरेडाना विचार-विमर्श के जरिये ऐसे मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जायेगी;

(छ) केंद्रीय कमेटी समेत, और उसके स्तर तक किसी भी उच्चतर पार्टी संगठन को कोई बयान, अपील या शिकायत भेजना;

2. यह देखने की जिम्मेदारी पार्टी संगठनों और उन्हें चलानेवालों की होगी कि इन अधिकारों का पालन हो।

धारा 13

जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांत

1. पार्टी का ढांचा जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांतों के आधारित है और पार्टी का

अंदरूनी जीवन इन्हीं सिद्धांतों से संचालित होता है। जनवादी केंद्रीयता का अर्थ है पार्टी के अंदरूनी जनतंत्र पर आधारित केंद्रीकृत नेतृत्व और केंद्रीकृत नेतृत्व के निर्देशन में पार्टी का अंदरूनी जनतंत्र।

पार्टी ढांचे के क्षेत्र में जनवादी केंद्रीयता के निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

(क) ऊपर से नीचे तक सारी पार्टी कमेटियां निर्वाचित होंगी;

(ख) अल्पमत को बहुमत के फैसले लागू करने होंगे, निचले पार्टी संगठन उच्चतर पार्टी संगठनों के फैसलों और निर्देशों को लागू करेंगे, व्यक्ति अपने आपको सामूहिक इच्छा के आधीन करेगा, सारे पार्टी संगठन पार्टी कांग्रेस और केंद्रीय कमेटी के फैसलों और निर्देशों को लागू करेंगे;

(ग) समय-समय पर सारी पार्टी कमेटियां अपने से ठीक निचले पार्टी संगठनों को अपने काम की रिपोर्ट देंगी और इसी तरह नीचे की सारी कमेटियां अपने से ठीक ऊपर की कमेटियों की रिपोर्ट देंगी;

(घ) सारी पार्टी कमेटियां, और खासतौर पर नेतृत्वकारी पार्टी कमेटियां, निचले पार्टी संगठनों और आम पार्टी सदस्यों की राय तथा आलोचनाओं पर बराबर ध्यान देंगी;

(ङ) सारी पार्टी कमेटियां व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ-साथ सामूहिक फैसले और जांच के सिद्धांतों पर सख्ती से अमल करेंगी;

(च) अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर, देशव्यापी प्रश्नों पर, एक से ज्यादा राज्यों से संबंधित प्रश्नों पर तथा ऐसे सभी प्रश्नों पर, जिनके लिए पूरे देश के पैमाने पर समान फैसला लेना जरूरी हो, अखिल भारतीय पार्टी संगठन ही फैसले लेंगे। राज्य और जिला स्तर के सभी प्रश्नों पर साधारण: उसी स्तर के पार्टी संगठन फैसले लेंगे। लेकिन, किसी भी सूरत में ये फैसले किसी उच्चतर पार्टी संगठन के फैसले के खिलाफ नहीं होंगे। केंद्रीय पार्टी नेतृत्व को अगर किसी राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मसले पर फैसला लेना होगा तो सामान्यत: संबंधित राज्य के पार्टी संगठन से मशविरा करने के बाद ऐसा किया जायेगा। जिलों के मामले में राज्य संगठन भी ऐसा ही करेंगे;

(छ) पूरे देश के पैमाने पर पार्टी की नीति को प्रभावित करनेवाले किसी सवाल पर, जिस पर पार्टी का नजरिया पहली बार प्रस्तुत किया जाना है, सिर्फ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही नीति-संबंधी वक्तव्य दे सकता है। निचली कमटियां वक्त रहते केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विचार के लिए अपनी राय, अपने सुझाव भेज सकती हैं और उन्हें भेजना भी चाहिए;

2. समूची पार्टी सदस्यता तथा जनांदोलन के अनुभव के आधार पर पार्टी के अंदरूनी जीवन में जनवादी केंद्रीयता के निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू होंगे :

(क) पार्टी, उसकी नीति, उसके काम पर असर डालने वाले सारे सवालों पर पार्टी इकाई में स्वतंत्र और निर्भीक बहस;

(ख) पार्टी नीतियों के प्रचार तथा उन्हें लागू करने के काम में पार्टी सदस्यों को सक्रिय करने के लिए निरंतर प्रयास, उनका विचारधारात्मक राजनीतिक स्तर ऊंचा उठाने तथा उनकी साधारण शिक्षा में सुधार के लिए निरंतर प्रयास, ताकि वे पार्टी के जीवन और उसके काम में सक्रिय हिस्सा ले सकें;

(ग) किसी पार्टी कमेटी में गंभीर मतभेद उठ खड़े होने की सूरत में सहमति पर पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अगर इसमें कामयाबी न मिले, तो आगे बहस के जरिये मतभेद दूर करने की नजर से फैसला स्थगित कर दिया जायेगा, बशर्ते पार्टी तथा जनांदोलनों की जरूरतों को देखते हुए फौरन फैसला लेना जरूरी न हो;

(घ) ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर आलोचना तथा आत्मालोचना, और खास तौर पर नीचे से आलोचना को प्रोत्साहन;

(ङ) हर स्तर पर नौकरशाही के खिलाफ बराबर संघर्ष;

(च) पार्टी के अंदर किन्हीं भी गुटों या गुटबंदी की इजाजत न देना;

(छ) बिरादराना संबंध तथा आपसी मदद और हमदर्दी भरे बर्ताव से कामरेडों की गलतियों में सुधार और किन्हीं इक्का-दुक्का गलतियों या घटनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी सेवा के सारे रिकार्ड को सामने रखकर काम के आधार पर, उनके बारे में राय कायम करने के जरिये पार्टी भावना को मजबूत करना।

धारा 14

अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस

1. अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस सारे देश के लिए पार्टी का सर्वोच्च संगठन होगी

(क) केंद्रीय कमेटी साधारणत: हर तीन साल में एक बार पार्टी कांग्रेस बुलायगी।

(ख) खुद अपने विवेक से या पार्टी की कुल सदस्यता के कम से कम एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करनेवाली दो या दो से अधिक राज्य कमेटियों की मांग पर केंद्रीय कमेटी असाधारण पार्टी कांग्रेस बुलायेगी।

(ग) पार्टी कांग्रेस या असाधारण पार्टी कांग्रेस की तारीखों और स्थान पर फैसला केंद्रीय कमेटी अपनी बैठक में करेगी, जो विशेष रूप से इसी के लिए बुलायी जायेगी;

(घ) नियमित पार्टी कांग्रेस में राज्य सम्मेलनों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे और सीधे अखिल भारतीय पार्टी केंद्र के आधीन काम करनेवाली पार्टी इकाइयों से चुने गये प्रतिनिधि होंगे;

(ङ) पार्टी की कुल सदस्यता, पार्टी के नेतृत्व में चलनेवाले जनांदोलनों की शक्ति तथा संबद्ध राज्यों में पार्टी की शक्ति के आधार पर, केंद्रीय कमेटी नियमित पार्टी कांग्रेस के लिए प्रतिनिधित्व के मानदंड और प्रतिनिधियों के चयन के तरीके, दोनों का निर्धारण

करेगी;

(च) नियमित हो या असाधारण, सभी पार्टी कांग्रेसों में केंद्रीय कमेटी के सदस्यों को पूर्ण प्रतिनिधियों के रूप में हिस्सा लेने का अधिकार होगा;

2. नियमित पार्टी कांग्रेस के काम और अधिकार इस प्रकार होंगे:

(अ) केंद्रीय कमेटी की राजनीतिक और सांगठनिक रिपोर्ट पर विचार तथा अमल करना;

(ब) पार्टी कार्यक्रम और संविधान में संशोधन और परिवर्तन करना;

(स) मौजूदा हालात में पार्टी की लाइन तय करना;

(द) गुप्त मतदान के जरिये केंद्रीय कमेटी का चुनाव करना;

3. कांग्रेस एक क्रेडेंशियल कमेटी चुनेगी, जो सभी प्रतिनिधियों के परिचय-पत्रों की छानबीन करेगी और कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट देगी।

4. कांग्रेस अपनी कार्रवाई के संचालन के लिए एक अध्यक्षमंडल का चुनाव करेगी।

धारा 15

केंद्रीय कमेटी

1. (क) केंद्रीय कमेटी पार्टी कांग्रेस में चुनी जायेगी। उसकी सदस्य संख्या कांग्रेस ही तय करेगी।

(ख) पुरानी केंद्रीय कमेटी कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों की एक सूची पेश करेगी।

(ग) उम्मीदवारों की सूची ऐसा सुयोग्य नेतृत्व देने की नजर से तैयार की जायेगी, जिसका जनता से घनिष्ठ संबंध हो, जो मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी दृष्टिकोण पर दृढ़ हो और जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद में शिक्षित हो।

(घ) कोई भी प्रतिनिधि सूची में प्रस्तावित किसी भी नाम पर आपत्ति कर सकता है और नये नाम या नामों का प्रस्ताव भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उस सदस्य की पूर्व-अनुमति लेना जरूरी है, जिसके नाम का प्रस्ताव किया जा रहा है।

(ङ) कोई भी सदस्य, जिसके नाम का प्रस्ताव किया गया हो, अपना नाम वापस ले सकता है;

(च) प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त नामों समेत प्रस्तावित सूची पर गुप्त मतदान होगा। हर प्रतिनिधि को एक नाम पर सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार होगा। किसी अतिरिक्त नाम का प्रस्ताव न होने की स्थिति में केवल हाथ उठाकर प्रतिनिधियों की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी;

2. दो अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेसों के बीच केंद्रीय कमेटी पार्टी की सर्वोच्च सत्ता

होगी।

3. पार्टी संविधान को लागू करना और पार्टी कांग्रेस में स्वीकृत लाइन तथा फैसलों को लागू करना केंद्रीय कमेटी की जिम्मेदारी है।

4. केंद्रीय कमेटी समूची पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगी और पार्टी के सारे काम को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार होगी। केंद्रीय कमेटी को पार्टी के सामने मौजूदा किसी भी प्रश्न पर पूरी सत्ता के साथ फैसला लेने का अधिकार होगा।

5. केंद्रीय कमेटी अपने सदस्यों में से महासचिव समेत एक पोलिट ब्यूरो चुनेगी। पोलिट ब्यूरो सदस्यों की संख्या केंद्रीय कमेटी तय करेगी। केंद्रीय कमेटी की दो बैठकों के बीच पोलिट ब्यूरो उसका काम अंजाम देगा और उसे केंद्रीय कमेटी की दो बैठकों के बीच राजनीतिक तथा सांगठनिक फैसले लेने का अधिकार होगा।

(अ) केंद्रीय कमेटी, अपने सदस्यों के बीच से एक सेक्रेटेरियट चुनेगी। सेक्रेटेरियट के सदस्यों की संख्या, केंद्रीय कमेटी द्वारा तय की जायेगी। सेक्रेटेरियट, पोलिट ब्यूरो के दिशा-निर्देशन में पार्टी केंद्र का रोजमर्रा का काम देखेगा और केंद्रीय कमेटी के फैसलों को लागू करने में पोलिट ब्यूरो की मदद करेगा।

6. राज्य कमेटियों के सचिवों और राज्य पार्टी मुखपत्रों के संपादकों के चुनाव पर केंद्रीय कमेटी का अनुमोदन हासिल करना जरूरी होगा।

7. (क) अनुशासन के गंभीर उल्लंघन, दुर्व्यवहार या पार्टीविरोधी गतिविधि के मामले में केंद्रीय कमेटी उपस्थित तथा मतदान करनेवाले सदस्यों के दो तिहाई मत से अपने किसी सदस्य को हटा सकती है। हर हालत में केंद्रीय कमेटी के कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा का इस निष्कासन के पक्ष में होना लाजिमी है।

(ख) केंद्रीय कमेटी अपने कुल सदस्यों के सादे बहुमत से अपनी खाली जगहें भर सकती है।

(ग) केंद्रीय कमेटी के किसी या किन्हीं सदस्यों की गिरफ्तारी की सूरत में शेष सदस्य स्थानापन्न सदस्य या सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ऐसे मनोनित सदस्यों को पहले के सदस्यों की तरह पूरे अधिकार होंगे, लेकिन जैसे ही गिरफ्तार सदस्य रिहा होते हैं तथा अपना काम संभाल लेते हैं, उन्हें हट जाना होगा।

8. साधारणत: केंद्रीय कमेटी की दो बैठकों के बीच का समय तीन महीने से ज्यादा नहीं होगा। केंद्रीय कमेटी के कुल सदस्यों के एक तिहाई की मांग पर उसकी बैठक बुलायी जाएगी।

9. केंद्रीय कमेटी राजनीतिक-सांगठनिक मुद्दों तथा जनसंगठनों की समस्याओं पर विचार करेगी, फैसले लेगी और राज्य कमेटियों तथा जनसंगठनों के अखिल भारतीय फ्रैक्शनों का दिशा निर्देशन करेगी।

10. पार्टी के हिसाब-किताब की जिम्मेदारी केंद्रीय कमेटी पर होगी और वह हिसाब-किताब के ब्यौरे की पुष्टि करेगी, जो साल में एक बार पोलिट ब्यूरो द्वारा पेश किया जायेगा।

11. जब भी पार्टी कांग्रेस होगी, केंद्रीय कमेटी उसके सामने अपनी राजनीतिक और सांगठनिक रिपोर्ट पेश करेगी।

12. पार्टी के क्रांतिकारी नेतृत्व को मजबूत करने की नजर से और राज्य तथा जिला संगठनों की जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कमेटी प्रतिनिधि तथा संगठनकर्त्ता भेजेगी, जो हर बार केंद्रीय कमेटी या पोलिट ब्यूरो द्वारा दिये गये विशेष निर्देशों के अनुसार काम करेंगे।

13. केंद्रीय कमेटी जब जरूरी समझे, अपनी विस्तारित बैठक या प्लेनम या सम्मेलन बुला सकती है। इस तरह के सम्मेलनों में शिकरत का आधार और प्रतिनिधियों के चुनाव की पद्धति केंद्रीय कमेटी तय करेगी।

14. संकट कालीन स्थिति में या बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की हालत में केंद्रीय कमेटी, राज्य कमेटियों और जिला कमेटियों को अपेक्षाकृत छोटी व सघन इकाइयों में पुनर्गठित किया जायेगा। पोलिट ब्यूरो के सदस्य केंद्रीय कमेटी के इस पुनर्गठन के लिए नामों का प्रस्ताव करेंगे और इसका केंद्रीय कमेटी के सदस्यों से- भीतर के भी और बाहर के भी-अनुमोदन कराया जाएगा। राज्य और जिला कमेटियों के पुनर्गठन के लिए नामों की सूची संबद्ध कमेटियों के बचे हुए सदस्य पेश करेंगे और अगली ऊंची कमेटियों से इसका अनुमोदन कराया जायेगा। ये कमेटियां अगर अपने कामों तथा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जरूरी समझें, तो उपसमितियां बना सकती हैं। पुनर्गठित केंद्रीय कमेटी को पार्टी संगठन की रक्षा करने के लिए नये नियम बनाने का अधिकार होगा। लेकिन, स्थिति, सामान्य हो जाने पर निर्वाचित कमेटियां बहाल हो जायेंगी।

15. कोई भी व्यक्ति महासचिव के पद पर, तीन पूर्ण कार्यकालों से ज्यादा नहीं रहेगा। पूर्ण कार्यकाल का अर्थ है, दो पार्टी कांग्रेसों के बीच की अवधि। विशेष परिस्थितियों में, महासचिव के रूप में तीन पूर्ण कार्यकाल पूरे करने के बाद भी किसी व्यक्ति को चौथे कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, बशर्ते केंद्रीय कमेटी तीन-चौथाई बहुमत से ऐसा निर्णय ले। लेकिन, किसी भी सूरत में उस व्यक्ति को चौथे कार्यकाल के बाद, एक और कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकेगा।

16. केंद्रीय कमेटी में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए केंद्रीय कमेटी पात्रता के लिए कोई आयु सीमा तय कर सकेगी। केंद्रीय कमेटी में निर्वाचित किए जाने के लिए महिलाओं का एक कोटा भी केंद्रीय कमेटी तय कर सकेगी। केंद्रीय कमेटी, राज्य कमेटियों में चयन` लिए आयु सीमा तथा महिलाओं के लिए कोटा तय करने के लिए

दिशा-निर्देश तय कर सकेगी।

धारा 16

राज्य तथा जिला पार्टी संगठन

1. राज्य या जिला स्तर पर राज्य या जिला सम्मेलन सर्वोच्च संगठन होगा, जो राज्य या जिला कमेटियों को चुनता है।

2. (क) राज्य या जिला पार्टी संगठनों का सांगठनिक ढांचा, उनके अधिकार तथा काम वहीं होंगे, जो अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी ढांचे तथा कामों से संबंधित धाराओं में बताये गये हैं। फर्क यह होगा कि उनके काम राज्य या जिला स्तर के मसलों तक सीमित रहेंगे और उनके फैसले अगले ऊंचे पार्टी संगठन के फैसलों की सीमाओं के अंदर ही होंगे। अगर इन पार्टी कमेटियों की सदस्य संख्या बढ़ाना जरूरी हो, तो ये कमेटियां अगली ऊंची कमेटी की इजाजत से ऐसा कर सकती हैं।

(ख) राज्य या जिला कमेटी, सेक्रेटरी समेत, एक सेक्रेटेरियट चुनेगी। लेकिन, अगर अगली ऊंची कमेटी की इजाजत हो तो राज्य या जिला कमेटियां सेक्रेटेरियट के बिना भी काम चला सकती हैं।

(ग) अनुशासन के गंभीर उल्लंघन, दुर्व्यवहार या पार्टी विरोधी गतिविधि के मामले में राज्य या जिला कमेटी, अपने कुल सदस्यों के बहुमत के फैसले से अपने किसी सदस्य को निकाल सकती है।

3. (क) राज्य कमेटी आंदोलन की जरूरतों को देखते हुए जिला कमेटी का क्षेत्र तय करेगी। इस विभाजन का जिलों के प्रशासनिक विभाजन से मेल खाना लाजमी नहीं।

(ख) राज्य कमेटी प्राथमिक इकाई (ब्रांच) और जिला या क्षेत्रीय कमेटी के बीच विभिन्न स्तरों के पार्टी संगठनों का फैसला करेगी और उनके गठन तथा कामों के बारे में जरूरी नियम बनायेगी। यह काम केंद्रीय कमेटी द्वारा तय किये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।

* 4. कोई भी व्यक्ति तीन पूर्ण कार्यकाल से ज्यादा राज्य/ जिला/ मध्यम स्तर (इंटरमीडिएट) कमेटी के सचिव के पद पर नहीं रहेगा। पूर्ण कार्यकाल का अर्थ है, संबंधित कमेटी की दो कान्फ्रेंसों के बीच की अवधि। विशेष परिस्थितियों में, सचिव के रूप में तीन पूर्ण कार्यकाल पूरे करने के बाद भी किसी व्यक्ति को चौथे कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, बशर्ते संबंधित कमेटी द्वारा तीन-चौथाई बहुमत से और राज्य कमेटी के अनुमोदन से, यह फैसला लिया जाए। राज्य सचिव के मामले में, केंद्रीय कमेटी से इसका अनुमोदन हासिल करना होगा। लेकिन, किसी भी सूरत में उस व्यक्ति को चौथे कार्यकाल के बाद, एक और कार्यकाल के बाद नहीं चुना जा सकेगा।

धारा 17

प्राथमिक इकाई

1. (क) पार्टी की प्राथमिक इकाई पार्टी ब्रांच होगी जिसे काम (पेशे) या क्षेत्र के आधार पर गठित किया जायेगा।

(ख) फैक्ट्री या किसी संस्था अथवा किसी उद्योग में काम करनेवाले पार्टी सदस्यों को उनके काम या पेशे के आधार पर संगठित किया जायेगा। इस तरह की ब्रांचों का गठन होने पर उनके सदस्य अपने रिहाइश के इलाके की ब्रांचों के सहयोगी सदस्य होंगे या उन्हें सहायक ब्रांचों में संगठित किया जायेगा। रिहाइश की जगह पर उन्हें जो काम दिया जाय, वह फैक्ट्री, संस्था या अपने पेशे की उनकी बुनियादी इकाई द्वारा दिये गये कामों में बाधक नहीं होना चाहिए।

(ग) एक ब्रांच के सदस्यों की संख्या पंद्रह से ज्यादा नहीं होगी। ब्रांच के काम और उससे संबंधित दूसरे प्रश्न राज्य कमेटी तय करेगी।

2. पार्टी ब्रांच अपने इलाके या दायरे के मजदूरों, किसानों तथा जनता के दूसरे तबकों और पार्टी की नेतृत्वकारी कमेटी के बीच जीवंत संपर्क सूत्र है। उसके काम हैं :

अ. उच्चतर कमेटी के निर्देशों को लागू करना;

ब. अपनी फैक्ट्री या अपने इलाके की जनता को पार्टी के राजनीतिक और सांगठनिक फैसलों के पक्ष में करना;

स. जुझारू लोगों तथा हमदर्दों को गतिविधियों में खींचकर नये सदस्यों के रूप में पार्टी में भर्ती करना और उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षित करना;

द. जिला, लोकल या शहर कमेटी के रोजमर्रा के सांगठनिक और आंदोलनात्मक कामों में उनकी मदद करना।

3. रोजमर्रा के काम को चलाने के लिए ब्रांच अपना सेक्रेटरी चुनेगी, जिसकी पुष्टि अगली ऊंची कमेटी करेगी।

धारा 18

केंद्रीय और राज्य कंट्रोल कमीशन

1. पार्टी कांग्रेस प्रत्यक्ष तरीके से एक केंद्रीय कंट्रोल कमीशन का चुनाव करेगी जिसके पांच से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के सभापति, केंद्रीय कमेटी के पदेन सदस्य होंगे।

2. कंट्रोल कमीशन निम्नलिखित मुद्दे हाथ में लेगा।

(अ) अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले जो केंद्रीय कमेटी या पोलिट ब्यूरो द्वारा

उसे सौंपे जाएं।

(ब) राज्य कमेटी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में अपील के मामले।

(स) निष्कासन के ऐसे मामले जिनके खिलाफ राज्य कमेटी या राज्य कंट्रोल कमशीन से अपील की गयी हो और अपील ठुकरा दी गयी हो।

3. केंद्रीय कंट्रोल कमीशन का फैसला अंतिम और बाध्यकर होगा। लेकिन, असाधारण मामलों में केंद्रीय कमेटी, केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के फैसलों को रोक सकती है, संशोधित कर सकती है या पलट सकती है। ऐसा कोई भी निर्णय, उपस्थित व मतदान में हिस्सा ले रहे कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से ही होगा। ऐसे सभी निर्णयों की जानकारी अगली पार्टी कांग्रेस को दी जाएगी।

4. कंट्रोल कमीशन के काम-काज के बारे में ब्यौरेवार नियम कंट्रोल कमीशन से विचार-विमर्श करने के बाद केंद्रीय कमेटी द्वारा तय किये जायेंगे।

5. अगर दो पार्टी कांग्रेसों के बीच में कंट्रोल कमीशन में कोई रिक्ति हो जाती है तो केंद्रीय कमेटी को इस रिक्ति को भरने का अधिकार होगा।

6. राज्य सम्मेलन, अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों पर विचार करने के लिए कंट्रोल कमीशन गठित कर सकता है। जिस भी राज्य में राज्य कंट्रोल कमीशन का गठन किया जाता है, उसके अधिकार तथा काम, अपने राज्य की सीमाओं में वही होंगे जो कि केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के होंगे।

धारा 19

पार्टी अनुशासन

1. पार्टी की एकता की रक्षा करने तथा उसे मजबूत करने के लिये, उसकी शक्ति, उसकी संघर्षकारी क्षमता तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांतों को लागू करने के लिए अनुशासन अपरिहार्य है। पार्टी अनुशासन का कड़ाई से पालन किये बिना पार्टी न तो संघर्षों तथा कार्रवाइयों में जनता का नेतृत्व कर सकती है और न उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी ही पूरी कर सकती है।

2. पार्टी का अनुशासन, पार्टी के लक्ष्यों, कार्यक्रम और नीतियों की सचेत स्वीकृति पर आधारित है। पार्टी के सारे सदस्य, पार्टी संगठन या सार्वजनिक जीवन में उनकी हैसियत कुछ भी क्यों न हो, पार्टी के अनुशासन में समान रूप से बंधे होंगे।

3. पार्टी संविधान का उल्लंघन, पार्टी के फैसलों का उल्लंघन या कोई दूसरा ऐसा काम या आचरण, जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य से उम्मीद न की जाती हो, पार्टी अनुशासन भंग करना माना जायेगा और उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसमें घरेलू हिंसा और यौन प्रतारणा की श्रेणी में आने वाले सभी कृत्य शामिल हैं।

4. अनुशासनात्मक कार्रवाइयां इस प्रकार हैं:

(क) चेतावनी;

(ख) निंदा;

(ग) सार्वजनिक निंदा;

(घ) पार्टी के पद से हटाया जाना;

(ङ) किसी अवधि के लिए, जो एक साल से ज्यादा नहीं होगी, पार्टी की पूर्ण सदस्यता से निलंबन;

(च) निष्कासन।

5. सामान्यत: अनुशासन की कार्रवाई तभी की जायेगी जब समझाने-बुझाने समेत दूसरे सभी तरीके संबद्ध कामरेड को सुधारने में नाकाम रहे हों। लेकिन, जहां अनुशासन की कार्रवाई हो चुकी हो, वहां भी संबद्ध कामरेड को अपने आपको सुधारने के काम में मदद जारी रहेगी। ऐसे मामलों में, जहां अनुशासन भंग करने का मामला इतना गंभीर हो कि पार्टी के हितों या उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए फौरन अनुशासनात्मक कदम उठाना जरूरी हो, तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

6. अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में निष्कासन सबसे गंभीर कार्रवाई है और यह कार्रवाई अधिकतम सतर्कता, सोच-विचार और विवेक से काम लेते हुए ही की जायेगी।

7. पार्टी के पद से हटाये जाने, पार्टी की पूर्ण सदस्यता से निलंबन—उस निलंबन को छोड़कर जिसमें जांच लंबित है—पार्टी से निष्कासन की कोई भी कार्रवाई अगली उच्चतर कमेटी की पुष्टि के बिना लागू नहीं होगी। निष्कासन के मामलों में पुष्टि होने तक दंडित पार्टी सदस्य को पार्टी की सारी गतिविधियों से अलग रखा जायेगा। निष्कासित सदस्य, अगली उच्चतर कमेटी द्वारा पुष्टि किये जाने तक, निलंबित रहेगा। उच्चतर कमेटी को छ: महीने के भीतर अपना निर्णय सूचित करना होगा।

8. जिस कामरेड के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव हो, उसे अपने खिलाफ लगाये गये अभियोगों, आरोपों तथा अन्य संबंधित तथ्यों की पूरी जानकारी दी जायेगी। उसे अधिकार होगा कि अपनी पार्टी इकाई में, जिससे वह संबद्ध है, खुद उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। उसे अपने खिलाफ कार्रवाई करनेवाली किसी उच्चतर इकाई में अपनी सफाई देने का अधिकार होगा।

9. अगर कोई सदस्य एक साथ दो स्तर की इकाइयों का सदस्य है, तो निचली इकाई उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। लेकिन, जब तक उसकी अपनी उच्चतर कमेटी इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करती, यह फैसला लागू नहीं होगा।

10. जो पार्टी सदस्य हड़ताल तोड़नेवाले, आदतन पियक्कड़, नैतिक रूप से भ्रष्ट,

पार्टी के साथ विश्वासघात करने वाले या घोर आर्थिक भ्रष्टाचार के अपराधी पाये जायेंगे, उन्हें उनकी अपनी पार्टी इकाई या कोई उच्चतर पार्टी कमेटी तुरंत सदस्यता से निलंबित कर सकती है और पार्टी में जिम्मेदारी के सभी पदों से हटा सकती है। आरोपपत्र देने और निष्कासन की कार्रवाई इसके बाद में की जायेगी।

11. अनुशासनात्मक कार्रवाई के हर मामले में अपील का अधिकार होगा।

12. केंद्रीय, राज्य या जिला कमेटियों को पार्टी के फैसलों की लगातार अवज्ञा, गंभीर गुटबाजी या पार्टी अनुशासन भंग किये जाने के मामलों में अपनी निचली कमेटियों को भंग करने, नयी कमेटियां नियुक्त करने या उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करने का अधिकार होगा। लेकिन, राज्य या जिला कमेटी ऐसी किसी कार्रवाई के बारे में तुरंत अपने से ऊंची कमेटी को सूचित करेगी ताकि वह जो कदम उठाना जरूरी समझे, उठा सके।

13. विशेष परिस्थितियों में पार्टी कमेटियां अपने विवेक से गंभीर पार्टीविरोधी गतिविधियों में लगे सदस्यों के तुरंत निष्कासन का रास्ता अपना सकती हैं।

धारा 20

निर्वाचित सार्वजनिक संस्थाओं में पार्टी सदस्य

1. संसद, राज्य विधानसभाओं या स्थानीय निकायों में निर्वाचित पार्टी सदस्य मिलकर पार्टी ग्रुप बनायेंगे, पूरी तरह पार्टी की लाइन, उसकी नीतियों तथा निर्देशों का पालन करेंगे तथा संबंधित पार्टी कमेटी के मातहत काम करेंगे।

2. संसद, विधान सभाओं आदि के कम्युनिस्ट सदस्य अडिग रहकर जनता के हितों की रक्षा करेंगे। विधायिकाओं में उनका काम आंदोलन को प्रतिबंबित करेगा और वे पार्टी की नीतियों को सामने रखेंगे तथा उनका प्रचार करेंगे।

विधायिकाओं में कम्युनिस्ट विधायकों का काम विधायिकाओं के बाहर पार्टी की गतिविधियों और जन आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होगा। हर कम्युनिस्ट विधायक का कर्तव्य है कि पार्टी और जन संगठनों के निर्माण में मदद करे।

3. कम्युनिस्ट विधायक अपने चुननेवालों तथा आम जनता के साथ घनिष्ठ से घनिष्ठतर संपर्क बनाये रहेंगे। उन्हें विधायिकाओं में अपने कामों से पूरी तरह अवगत कराते रहेंगे और निरंतर उनसे सुझाव तथा सलाह लेते रहेंगे।

4. कम्युनिस्ट पार्टी विधायक व्यक्तिगत ईमानदारी का ऊंचा स्तर बनाये रखेंगे, सादा जीवन बितायेंगे, जनता के साथ अपने संपर्क तथा आचरण में विनम्रता से पेश आयेंगे और पार्टी को अपने हितों से ऊपर रखेंगे।

5. कम्युनिस्ट विधायकों तथा स्थानीय निकायों के सदस्यों को मिलनेवाले वेतन

तथा भत्तों को पार्टी का पैसा माना जायेगा। सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबद्ध पार्टी कमेटी तय करेगी।

6. नगर निगम म्युनिसिपैलिटी, शहर या इलाका कमेटी, जिला परिषद, ब्लाक समिति, ग्राम पंचायत आदि स्थानीय निकायों के लिए चुने गये पार्टी सदस्य संबंधित पार्टी कमेटी या ब्रांच के मातहत काम करेंगे। वे अपने निर्वाचकों तथा आम जनता के साथ घनिष्ठ दैनिक संपर्क बनाये रखेंगे और इस तरह की निर्वाचित संस्थाओं में उनके हितों की रक्षा करेंगे। वे अपने निर्वाचकों तथा जनता को अपने काम की बराबर जानकारी देंगे और उनसे सलाह तथा सुझाव लेते रहेंगे। इन स्थानीय निकायों में काम को बाहर तीव्र जन-गतिविधियों के साथ जोड़ना होगा।

7. संसद, विधानसभाओं, विधान परिषदों और केंद्र शासित क्षेत्रों के चुनावों के लिए पार्टी सदस्यों की नामजदगी के लिए केंद्रीय कमेटी की स्वीकृति लेनी होगी।

नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड और पंचायत के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की नामजदगी के नियम राज्य कमेटियां बनायेंगी।

धारा 20 (अ)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), कानून द्वारा स्थापित, भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व जनतंत्र के प्रति सच्ची आस्था तथा निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता के हक में रहेगी।

धारा 21

पार्टी के अंदर बहस

1. पार्टी को एकजुट करने के लिए, पूरी पार्टी के विभिन्न संगठनों में पार्टी की नीति पर मुक्त तथा सुनियोजित बहस लाभदायक भी है और जरूरी भी। यह पार्टी के अंदरूनी जनवाद पर आधारित, पार्टी सदस्यों का अनुल्लंघनीय अधिकार है। लेकिन, पार्टी नीति के सवाल पर ऐसी अंतहीन बहसें चलाना जो पार्टी की एकता तथा कार्रवाई की इच्छा को ही पंगु करती हों, पार्टी के अंदरूनी जनवाद का घोर दुरुपयोग है।

2. अखिल भारतीय पैमाने पर केंद्रीय कमेटी पार्टी में अंदरूनी बहसें चलायेगी:

(क) जब भी वह ऐसी बहस जरूरी समझे;

(ख) जब भी पार्टी नीति के किसी महत्वपूर्ण मसले पर केंद्रीय कमेटी में पर्याप्त तथा दृढ़ बहुमत न हो;

(ग) जब पार्टी की कुल सदस्यता के तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करनेवाली राज्य कमेटियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी में अंदरूनी बहस की मांग की जाय।

3. किसी खास राज्य से संबंधित पार्टी नीति के महत्वपूर्ण प्रश्न पर राज्य कमेटी खुद अपनी पहल पर या राज्य के कुल पार्टी सदस्यों के तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करनेवाली जिला कमेटियों की मांग पर, केंद्रीय कमेटी की अनुमति से राज्य स्तर पर अंदरूनी पार्टी बहस शुरू कर सकती है।

4. पार्टी की अंदरूनी बहस केंद्रीय कमेटी के निर्देशन में चलायी जायेगी, जो बहस के मुद्दों को सूत्रबद्ध करेगी। केंद्रीय कमेटी, जो बहस का निर्देशन करेगी, यह भी तय करेगी कि बहस कैसे चलायी जाय।

बहस की शुरूआत अगर राज्य कमेटी कर रही है, तो वह केंद्रीय कमेटी की अनुमति से बहस के मसलों को सूत्रबद्ध कर सकती है और बहस का तरीका तय कर सकती है।

धारा 22

पार्टी कांग्रेस और सम्मेलनों की तैयारी की बहस

1. केंद्रीय कमेटी, पार्टी कांग्रेस से दो महीने पहले पार्टी की सभी पार्टी इकाइयों में बहस के लिए प्रस्ताव का मसौदा जारी करेगी। राज्य कमेटियों के लिए इस मसौदे को संबद्ध भाषाओं में अनुवाद कराके, केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी किये जाने के बाद, कम से कम समय में तमाम ब्रांच कमेटियों को, उनकी जरूरत के मुताबिक, इसकी प्रतियां पहुंचाना लाजमी होगा। प्रस्तावों में संशोधन सीधे केंद्रीय कमेटी के पास भेजे जायेंगे, जो पार्टी कांग्रेस के सामने उन पर रिपोर्ट पेश करेगी।

2. हर स्तर के सम्मेलन, संबंधित कमेटी की रिपोर्ट और उसके प्रस्तावों के आधार पर होंगे।

धारा 23

जनसंगठनों में काम करनेवाले पार्टी सदस्य

जनसंगठनों तथा उनकी कार्यकारिणियों में काम करनेवाले पार्टी सदस्य, फ्रैक्शनों या फ्रैक्शन कमेटियों में संगठित होंगे और उपयुक्त पार्टी कमेटियों के निर्देशन में काम करेंगे। वे हमेशा संबंधित जनसंगठनों की एकता, उनके जनाधार और उनकी संघर्ष क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

धारा 24

उपनियम

केंद्रीय कमेटी, पार्टी संविधान के तहत और उसके अनुरूप नियम तथा उप-नियम बना सकती है। पार्टी संविधान के तहत उसके अनुरूप नियम तथा उप-नियम राज्य कमेटियां भी बना सकती है। लेकिन, केंद्रीय कमेटी से उनका अनुमोदन जरूरी है।

धारा 25

संशोधन

पार्टी संविधान में संशोधन पार्टी कांग्रेस ही कर सकती है। संविधान के संशोधन के प्रस्ताव संबंधित पार्टी कांग्रेस से दो महीने पहले देने होंगे।

पार्टी संविधान के अंतर्गत नियम

(केंद्रीय कमेटी द्वारा 8-10 अप्रैल 1989 तक की बैठक में स्वीकृत)

धारा 4, खंड (10) के अंतर्गत:

सदस्यता

सदस्य के एक से दूसरी इकाई या एक से दूसरे राज्य में तबादले के बारे में:

(**व्याख्या:** यद्यपि व्यावहारिक तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में तमाम तबादले केंद्रीय कमेटी करती है, आम तौर पर दिये गये विवरण नाकाफी होते हैं। इसलिये, जब एक राज्य, केंद्र से यह मांग करे कि अमुक साथी का तबादला अमुक राज्य में कर दिया जाय, तब उसे नीचे लिखा ब्यौरा अवश्य देना होगा, ताकि हर पार्टी सदस्य का रिकार्ड हर स्तर पर ठीक से रखा जा सके। राज्य के भीतर किये गये तबादले पर भी यही नियम लागू होगा।)

नियम: सदस्यता का तबादला

तबादले के पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण देना अनिवार्य है:

साथी का नाम

उम्र

पार्टी में भर्ती होने का वर्ष

उसका संबंध किस इकाई से था

किस जनसंगठन में काम करता था/करती थी

प्रतिमास दी जानेवाली लेवी की रकम और कब तक का भुगतान किया जा चुका है

क्या कभी अनुशासन की कार्रवाई की गयी है ?

वह राज्य, जहां से सदस्य का तबादला होना है

वह राज्य, जिसमें तबादला होना है

वह वर्ष, जिसमें पार्टी सदस्यता का नवीकरण किया गया

वह पता, जिस पर सदस्य से संपर्क किया जा सके

सहायक (आक्जिलरी) ग्रुपः

(**व्याख्याः** सल्किया प्लेनम ने निर्देश दिया था कि जनसंघर्षों के दौरान उभरे जुझारू तत्वों को सहायक ग्रुपों में रखना, प्रशिक्षित और शिक्षित करना चाहिये, ताकि उन्हें पार्टी सदस्यों के रूप में भर्ती किया जा सके। नियमों में इसकी व्यवस्था करनी है।)

1. पार्टी इकाइयों को चाहिये कि वे जनांदोलनों के दौरान और जनसंगठनों के बीच से उभरे सक्रिय भागीदारों और जुझारू तत्वों को ऐसे सहायक ग्रुपों में संगठित करने के लिए कदम उठायें, जो आम तौर पर पार्टी हमदर्दों के ग्रुप जैसे हों।

2. पार्टी कमेटियों को चाहिये कि वे ऐसे सहायक ग्रुपों के सदस्यों को पार्टी कार्यक्रम और पार्टी की बुनियादी नीतियों के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करें, ताकि वे एक मुनासिब अर्से में उम्मीदवार सदस्यों के रूप में पार्टी में भर्ती होने लायक बन सकें।

धारा 6 के अंतर्गतः

पार्टी सदस्यता का रिकार्ड

नियमः संविधान में व्यवस्था है कि पार्टी सदस्यता के रिकार्ड जिला समिति की देखरेख में रखे जायेंगे। हालांकि रिकार्ड के सत्यापन और उसकी अधिकृत प्रति के संदर्भ में अंतिम आधिकारिक सत्ता (अथॉरिटी) जिला समिति ही होगी, लेकिन अगर संबद्ध राज्य कमेटी निर्णय करे, तो उस राज्य में बिचली/स्थानीय कमेटी को रिकार्ड रखने की ताकत दी जा सकती है।

धारा 7 के अंतर्गतः

पार्टी सदस्यता की जांच

(**व्याख्याः** उपधारा (1) के अनुसार, ''जिस सदस्य ने बिना किसी उचित कारण के एक अर्से तक पार्टी-जीवन तथा पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया है या पार्टी का देय धन नहीं दिया है'', उसे पार्टी सदस्यता से अलग कर दिया जायेगा। संविधान में उल्लिखित उचित कारणों पर ध्यान दिये बिना मनमाने ढंग से सदस्यता से अलग न किया जाय, यह सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि इस प्रक्रिया के संबंध में कुछ निश्चित नियम बनाये जायें।)

नियमः

(1) जो भी इकाई किसी को सदस्यता से अलग करना चाहती है, सदस्य को अपनी सफाई देने का मौका देने के बाद ही ऐसा कर सकती है। ब्रांच को किसी को सदस्यता से अलग करने का फैसला लिखित रूप में अपने से ऊंची कमेटी को देना होगा।

(2) उच्चतर कमेटी को सदस्यता की पुष्टि और उसका पंजीकरण करते वक्त सदस्यता से अलग किये गये लोगों की सूची पर गौर करना होगा और इस बारे में खास तौर पर अपनी राय देनी होगी।

(3) संबद्ध कमेटियों को नवीकरण की रिपोर्ट अपने से ऊपर की कमेटियों को देनी होगी, जिसमें पार्टी सदस्यों की भर्ती, सदस्यता से अलग किये गये लोगों, तबादलों और सदस्यता की बुनावट संबंधी ब्यौरे रहेंगे।

(4) पार्टी सदस्यता के नवीकरण के लिए संबद्ध सदस्य को प्रतिवर्ष नवीकरण फार्म भरना होगा, जिसमें इस तरह के बुनियादी ब्यौरे रहेंगे: उम्र, पार्टी में भर्ती का वर्ष, आय, काम किस मोर्चे पर कर रहा है।

(5) सदस्यता शुल्क की प्राप्ति की रसीद संबद्ध सदस्य को जरूर दी जायेगी।

(6) जिस सदस्य को पार्टी की सदस्यता से हटाने का फैसला लिया गया हो, उसे सदस्यता से हटाने के निर्णय की पुष्टि के तीस दिन के अंदर-अंदर, संबंधित पार्टी कमेटी इस निर्णय के संबंध में सूचित करेगी।

(7) पार्टी सदस्यता से हटाए जाने के खिलाफ संबंधित सदस्य द्वारा अपील पार्टी सदस्यता से हटाए जाने के निर्णय की सूचना दिए जाने के 30 दिन के अंदर-अंदर ही की जा सकती है।

धारा 9 के अंतर्गतः सदस्यता शुल्क

नवीकरणः (व्याख्याः धारा-9, उपधारा-1 का कहना है कि हर पार्टी सदस्य को ''हर साल मार्च तक ब्रांच या इकाई के सचिव को सालाना फीस देनी होगी।''

अगर सदस्यता शुल्क इकाइयों के पास मार्च के अंत तक जमा हो, तो उन्हें जिला/राज्य कमेटियों तक उसे पहुंचाने में और अधिक वक्त लग जाता है। इसलिए, व्यावहारिक रूप से राज्यों द्वारा इकट्ठा किया गया सदस्यता शुल्क केंद्रीय कमेटी तक अलग-अलग समय पर पहुंचता है। फिलहाल यह पैसा अप्रैल से दिसंबर तक आता रहता है। लेकिन, एक ऐसी निर्धारित तारीख अवश्य होनी चाहिये, जिस तक सदस्यता शुल्क केंद्र के पास आ जाय।)

नियमः

(1) पार्टी सदस्यता का नवीकरण हर वर्ष मार्च के अंत तक पूरा हो जाना जरूरी है।

(2) राज्य कमेटियों के लिए हर वर्ष 31 मई तक सदस्यता शुल्क की राशि केंद्र के पास जमा कर देना जरूरी है।

(3) अगर कोई असाधारण स्थिति है, तो यह तारीख सिर्फ केंद्रीय कमेटी/पोलिट ब्यूरो ही बढ़ा सकता है।

(4) उम्मीदवार सदस्यों की भर्ती पूरे साल चलेगी। उनका सदस्यता शुल्क अगले वर्ष 31 मार्च तक केंद्र को अलग से भेजना होगा।

धारा 10 के अंतर्गत: पार्टी लेवी

नियम

1. पार्टी सदस्यों की लेवी की दरें: केंद्रीय कमेटी का फैसला है कि पार्टी सदस्यों से लेवी निम्न दरों पर ली जायेगी:

आय स्लैब (रु.)	**लेवी %**
1,000 से कम	रु0 1
1,001 से 5,000	0.5%
5,001 से 10,000	1.0%
10,001 से 20,000	1.5%
20,001 से 30,000	2.0%
30,001 से 40,000	2.5%
40,001 से 60,000	3.0% (यहां से स्लैब प्रणाली शुरू)
60,001 से 80,000	3.5%
80,001 से अधिक	4.0%

2. अगर किसी सदस्य को तिमाही या सालाना लेवी देनी हो, उसकी साल भर की आमदनी के आधार पर उसकी मासिक आय निकाल ली जाय और ऊपर दी गयी दरों को लागू करके हिसाब लगा लिया जाय कि उसे पार्टी को कितनी रकम देनी है।

3. अगर परिवार की आमदनी में पत्नी या कोई अन्य सदस्य भी अपना हिस्सा डालता है और वह पार्टी सदस्य नहीं है, तो लेवी की दरें लागू करते वक्त कुल आमदनी में ऐसे लोगों की आमदनी शामिल न की जाय।

नोट: 1. वेतनभोगी कर्मचारियों, मजदूरों आदि के लिए आमदनी का मतलब है उनकी कुल आमदनी, जिसमें महंगाई भत्ता और दूसरे भत्ते भी शामिल हैं। इसके अलावा, अगर किसी पार्टी सदस्य को जमीन, व्यापार या जायदाद से कोई और आमदनी है, तो वह भी कुल आमदनी में जोड़ी जायेगी।

2. किसानों की कुल आय में कृषि-उत्पादन पर आयी उनकी वास्तविक लागत निकाल दी जायेगी।

3. अगर कोई सदस्य संयुक्त परिवार में रह रहा है, तो आमदनी में से उसके हिस्से पर लेवी लगेगी।

4. अगर कुछ बहुत ही खास मामलों में—बेरोजगारी, सूखा या बीमारी—लेवी में छूट देने की बात हो, तो ऐसे फैसले संबद्ध राज्य कमेटियां ही ले सकती हैं।

नोट: स्थानीय एरिया, जिला या राज्य कमेटियों के हिस्सों के बारे में फैसला संबद्ध राज्य के स्तर पर किया जायेगा।

धारा 15, खंड (10) के अंतर्गत: केंद्रीय कमेटी का वित्त

नियम:

1. केंद्रीय कमेटी का अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए एक ट्रस्ट नियुक्त करे।

2. केंद्रीय कमेटी हर साल या जब जरूरी हो, फैसला करेगी कि पार्टी फंड में या केंद्रीय पार्टी तंत्र को चलाने के लिए विशेष पार्टी फंड की मुहिम के तहत कौन राज्य कितनी रकम देगा।

3. पोलिट ब्यूरो एक वित्तीय उपसमिति का गठन करेगा, जो मिलेगी और

(क) केवल दस हजार रुपये तक के वित्तीय मामलों और खर्चों पर फैसले लेगी। इससे बड़े खर्चों के मामले पोलिट ब्यूरो को सौंपे जायेंगे।

(ख) वित्तीय उपसमिति केंद्रीय कमेटी और उसकी संस्थाओं का तिमाही हिसाब-किताब पोलिट ब्यूरो को पेश करेगी।

(ग) वित्तीय उपसमिति सालाना हिसाब-किताब पोलिट ब्यूरो से स्वीकृत कराके केंद्रीय कमेटी की स्वीकृति के लिए पेश करेगी (जिसकी व्यवस्था पार्टी संविधान में मौजूद है)।

(घ) उपसमिति का एक सदस्य पार्टी वित्त के आय-व्यय का इंचार्ज होगा, जिसके बाद इसे अंतिम रूप देने और किताबों में दर्ज करने के लिए लेखा इंचार्ज को दे दिया जायेगा।

(ङ) पार्टी पत्रों और दूसरी संस्थाओं (अगर हों तो) का छमाही हिसाब-किताब उपसमिति को पेश किया जायेगा।

धारा 16, उपखंड 3 (ख) के अंतर्गत:
राज्य और जिला पार्टी निकाय, बिचली कमेटियों का गठन

[व्याख्या: उपधारा 3 (ख) में कहा गया है, ''राज्य कमेटी, प्राथमिक इकाई

(ब्रांच) और जिला या क्षेत्रीय कमेटी के बीच, विभिन्न स्तरों के पार्टी संगठनों की स्थापना का फैसला करेगी और उनके गठन तथा कामों के बारे में जरूरी नियम बनायेगी। यह काम केंद्रीय कमेटी द्वारा तय किये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।'']

राज्य कमेटी, प्राथमिक इकाई और जिला या क्षेत्रीय कमेटी के बीच, निम्नलिखित नियमों के आधीन बिचली कमेटियां स्थापित करने का फैसला कर सकती है:

(क) राज्य कमेटी प्रस्तावित कमेटियों का आकार तय करेगी।

(ख) इस तरह की कमेटी का चुनाव उसी स्तर के डेलीगेटों द्वारा सम्मेलन में किया जायेगा। कमेटी सचिव और/या सचिवमंडल का चुनाव करेगी।

(ग) ऐसे सम्मेलन में डेलीगेटों के चुनाव का क्या मानदंड होगा, यह राज्य कमेटी तय करेगी।

(घ) बिचली कमेटी (स्थानीय, एरिया, जोनल आदि) वे तमाम काम करेगी, जो राज्य/जिला कमेटियों के लिये बताये गये हैं। उसका काम उस स्थान या क्षेत्र (जोन) तक सीमित होगा, जो उसके अधिकार-क्षेत्र में आता है।

(ङ) तालमेल कायम करने के लिए बनायी गयी तदर्थ (एडहाक) या मनोनीत कमेटियों को वे आम अधिकार नहीं होंगे, जो बाकायदा चुनी गयी कमेटियों को दिये गये हैं। उनके काम की सीमा उन्हें नियुक्त करनेवाली संबद्ध कमेटियां ही निर्धारित करेंगी।

(च) जिला सम्मेलनों और बिचली कमेटियों के सम्मेलनों के लिए डेलीगेटों की संख्या का निर्धारण राज्य समिति करेगी।

धारा 16 के अंतर्गत: केंद्रीय कमेटी से निचली कमेटियों (राज्य और जिला संगठनों) के लिए पार्टी वित्त और लेखा संबंधी नियम

व्याख्या: केंद्रीय कमेटी के वित्त और लेखा संबंधी नियमों की भांति ही तमाम निचली कमेटियों पर भी ये नियम लागू होंगे:

(क) राज्य स्तर पर (या राज्य कमेटी के फैसले के मुताबिक बिचली/जिला कमेटियों के स्तर पर) संबद्ध कमेटी की एक उपसमिति होगी, जिसे सेक्रेटेरिएट गठित करेगा।

(ख) सेक्रेटेरिएट की देखरेख में पैसे के खर्च और हिसाब-किताब रखने की जिम्मेदारी इस उपसमिति की होगी।

(ग) यह उपसमिति हर छः महीने का हिसाब तैयार करके पार्टी कमेटी को पेश करेगी और यह हिसाब अगली ऊंची कमेटी को दिया जायेगा।

(घ) उपसमिति सालाना जमा-खर्च के लेखे की जांच करेगी और मंजूरी के लिए पार्टी कमेटी को पेश करेगी।

(ङ) जिला कमेटी हर साल 31 जुलाई से पहले, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आडिट किये अपने तथा अपने से नीचे की सभी निर्वाचित कमेटियों के जमा-खर्च का एकीकृत वक्तव्य राज्य कमेटी के सामने पेश करेगी।

(त) राज्य कमेटियां हर साल 31 अगस्त से पहले, अपने तथा अपने से निचली निर्वाचित कमेटियों के जमा-खर्च का एकीकृत वक्तव्य, चार्टर्ड एकाउंटेंट से ऑडिट कराने के बाद, केंद्रीय कमेटी को पेश करेंगी।

धारा 18 के अंतर्गत:
केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के काम के नियम

1. धारा 18 के तहत कोई शिकायत या अपील मिलने पर केंद्रीय कंट्रोल कमीशन को मामले की छानबीन के लिए कदम उठाने चाहिये और उस पर निर्णय करना चाहिये।

2. असंतुष्ट पार्टी सदस्य के अलावा अन्य किसी की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

3. केंद्रीय कंट्रोल कमीशन को तथ्यों की ठीक-ठीक जानकारी के लिए तथा किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए इकाई/इकाइयों या संबंधित व्यक्तियों से सीधे संपर्क करने या पड़ताल करने का अधिकार होगा।

4. केंद्रीय कंट्रोल कमीशन साधारणतया तीन महीने में एक बार अपनी बैठक करेगा। कमीशन का अध्यक्ष, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर केंद्रीय कंट्रोल कमीशन की बैठक बुलाएगा।

5. सदस्यों के बहुमत से ही बैठक का कोरम पूरा करेगा। केंद्रीय कंट्रोल कमीशन सभी सदस्यों या सदस्यों के बहुमत के सहमत होने पर ही निर्णय कर सकेगा। अनुपस्थित सदस्य या सदस्यों को कमीशन द्वारा लिये गये फैसलों की सूचना दी जा सकती है।

6. केंद्रीय कंट्रोल कमीशन ऐसे साधारण मामलों, जो ज्यादा जटिल नहीं हैं, पर अपने सदस्यों से पत्र-व्यवहार द्वारा विचार-विमर्श करके भी फैसले ले सकता है।

7. केंद्रीय कंट्रोल कमीशन अपने निर्णयों के बारे में निवेदक और संबंधित राज्य कमेटी को सूचित करेगा और केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के फैसले को संबंधित कमेटी द्वारा तुरंत ही लागू करना होगा।

8. केंद्रीय कंट्रोल कमीशन कम से कम साल में एक बार केंद्रीय कमेटी के सामने अपने कार्यों और फैसलों की समुचित रिपोर्ट पेश करेगा।

9. ये नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ राज्य कंट्रोल कमीशनों पर भी लागू होंगे।

केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के कामकाज के तौर-तरीकों से संबद्ध नियम

1. कोई अपील प्राप्त होने पर केंद्रीय कंट्रोल कमीशन का अध्यक्ष उस मामले के बारे में अपने दूसरे सदस्यों को सूचित करेगा।

2. कमीशन का अध्यक्ष किसी खास मामले की जांच पड़ताल के लिए जरूरी कदम तुरंत उठाने का भी सुझाव देगा। केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के दूसरे सदस्य भी इस संबंध में अपने सुझाव भेज सकते हैं।

3. केंद्रीय कंट्रोल कमीशन को संबंधित कमेटियों और व्यक्तियों से कोई भी जानकारी, जोकि अपील पर फैसला लेने के लिए जरूरी है, हासिल करने का अधिकार है और उनको यह सूचना कम से कम दो महीने के अंदर केंद्रीय कंट्रोल कमीशन को उपलब्ध करवानी चाहिये और अगर इतने समय में ऐसी कोई सूचना नहीं उपलब्ध होती है, तो केंद्रीय कंट्रोल कमीशन को आगे की कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

केंद्रीय कमेटी के लिए कामकाज के तौर-तरीकों से संबद्ध नियम

केंद्रीय कमेटी, असाधारण परिस्थितियों में, धारा-18, उपधारा-3 के अंतर्गत केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के किसी निर्णय को रोकने, संशोधित करने या पलटने का फैसला लेने से पहले केंद्रीय कंट्रोल कमीशन से परामर्श करेगी।

धारा-19, खंड-3 के अंतर्गत

जैसाकि कार्यस्थल पर यौन प्रतारणा के खिलाफ सुरक्षा के कानून का तकाजा है, यौन प्रतारणा की सभी शिकायतों की जांच करने के लिए एक आंतरिक कमेटी का गठन केंद्रीय स्तर पर पोलिट ब्यूरो द्वारा और राज्य व जिला स्तरों पर क्रमशः राज्य व जिला कमेटियों द्वारा किया जाएगा। आंतरिक कमेटी के लिए कार्य प्रक्रियाएं पोलिट ब्यूरो द्वारा जारी की जाएंगी और वे विभिन्न स्तरों पर ऐसी सभी कमेटियों के काम-काज पर लागू होंगी।

धारा-19, अनुच्छेद-11 के अंतर्गत नियमः

1. जो पार्टी इकाई किसी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, निर्णय के 30 दिनों के अंदर-अंदर या अगर धारा-19 के अनुच्छेद -7 के अंतर्गत निर्णय की अगली उच्चतर कमेटी से पुष्टि कराना जरूरी हो तो ऐसी पुष्टि के 30 दिनों के अंदर-अंदर, संबंधित पार्टी सदस्य को निर्णय की सूचना देगी।

2. अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील संबंधित पार्टी सदस्य को, पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई की सूचना दिए जाने के छः महीने के अंदर-अंदर दायर

करनी होगी।

धारा 19 उपधारा 13 के अंतर्गतः पार्टी अनुशासन

1. अपवादस्वरूप परिस्थितियों में तुरंत निष्काषन का प्रावधान 'गंभीर' पार्टीविरोधी गतिविधि के संदर्भ में है। इसका मतलब यह है कि इसका प्रयोग बेहद गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये, जैसे जब किसी सदस्य के बारे में पता लगे कि वह जासूस या दुश्मन का दलाल है या उसकी गतिविधियों से पार्टी की स्थिति गंभीरतापूर्वक क्षतिग्रस्त होती हो।

धारा 20 के अंतर्गतः
निर्वाचित संस्थाओं में पार्टी सदस्य

नियमः

1. सी पी आइ (एम) के हर सांसद को केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्धारित लेवी केंद्रीय कमेटी को देनी होगी।

2. पोलिट ब्यूरो ने राज्यों के लिए लेवी का जो प्रतिशत निर्धारित किया है, वह संबद्ध राज्यों में (यानी संबद्ध सदस्य का संबंध जिस राज्य से है) हर महीने जमा कराना होगा।

(**व्याख्या :** पार्टी संविधान की धारा 20, उपधारा 5 के मुताबिक, ''कम्युनिस्ट विधायकों तथा स्थानीय निकायों के सदस्यों को मिलनेवाले वेतन तथा भत्तों को पार्टी का पैसा माना जायेगा।'' पहले सांसदों/विधायकों के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं थी। अब यह व्यवस्था है, इसलिए निम्नलिखित नियम जरूरी हो गया है।)

3. कम्युनिस्ट विधायकों और स्थानीय निकायों के सदस्यों के वेतन और भत्तों में, अगर उन्हें पेंशन मिलती है, तो उसे भी शामिल किया जायेगा।

धारा 22 के अंतर्गतः पार्टी कांग्रेस और कान्फ्रेंसों की तैयारी में विचार-विमर्श

1. पार्टी कान्फ्रेंसों के मंच का इस्तेमाल पिछली कान्फ्रेंस के बाद की वर्क रिपोर्ट पर विचार तथा उसकी समीक्षा करने और पिछली कान्फ्रेंस/कांग्रेस में तय की गयी पार्टी लाइन को लागू करने की प्रक्रिया में उठे राजनीतिक-सांगठनिक सवालों पर विचार करने के लिए किया जायेगा। कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे पर अलग से विचार-विमर्श किया जायेगा, जिसकी व्यवस्था संविधान में पहले से मौजूद है।

धारा 23 के अंतर्गत: जनसंगठनों में काम करनेवाले पार्टी सदस्य

1. केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर पार्टी कमेटियां अपने सदस्यों में से या कुछ अन्य पार्टी सदस्यों को लेकर, जिन्हें विभिन्न जनसंगठनों में काम करनेवाले पार्टी सदस्यों को निर्देशित करने में सक्षम समझा जाय, उपसमितियां बना सकती हैं। वे संबद्ध मोर्चे की समस्याओं की विशेषज्ञता प्राप्त करेंगी, पार्टी-निर्माण पर निगाह रखेंगी, विभिन्न जनसंगठनों में काम कर रहे पार्टी सदस्यों की गतिविधियों को निर्देशित करेंगी और उनमें तालमेल रखेंगी। उनका रूप चाहे पार्टी कमेटी का हो या फ्रैक्शन कमेटी का, उनका काम यह देखना होगा कि पार्टी नीति का पालन हो और उसे लागू किया जाय।

2. किसी जनसंगठन में काम करनेवाले या उस संगठन के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित तमाम पार्टी सदस्य मिलकर उस संगठन का फ्रैक्शन बनाते हैं। उन्हें संबद्ध पार्टी कमेटियों के निर्देशन और फैसलों के तहत काम करना होता है।

3. जहां बहुत से पार्टी सदस्य किसी जनसंगठन के विभिन्न स्तरों पर काम करते हों, वहां फ्रैक्शन सदस्यों के बीच से फ्रैक्शन कमेटी का निर्माण किया जाता है। फ्रैक्शन कमेटी का निर्माण संबद्ध पार्टी कमेटी करेगी और उसमें अगर पार्टी कमेटी है, तो उसके सदस्यों के अलावा ऐसे साथियों को लेगी, जिनमें वह परिपक्वता है या जिन्हें जनसंगठनों में काम करने का वह अनुभव है, जिसे पार्टी कमेटी जरूरी समझती है।

4. उपर्लिखित तरीके से बनायी गयी फ्रैक्शन कमेटी को, संबद्ध पार्टी कमेटियों द्वारा लिये गये फैसलों को उस जनसंगठन की कार्यकारिणी या जनरल काउंसिल में लागू कराना चाहिये। संबद्ध जनसंगठनों के फ्रैक्शन द्वारा पार्टी कमेटियों के फैसले लागू कराने के लिए तमाम जरूरी कदम फ्रैक्शन कमेटी को उठाने होंगे।

कोचीन में 23-29 दिसंबर 1968 को हुई आठवीं कांग्रेस द्वारा स्वीकृत संविधान, जिसमें अप्रैल, 2022 में संपन्न 23वीं कांग्रेस द्वारा स्वीकृत संशोधनों तक को जोड़ा गया है।

* * *

केंद्रीय कमेटी द्वारा 8-10 अप्रैल, 1988 की बैठक में स्वीकृत नियमों के साथ यहां, आगे चलकर 30-31 जुलाई 2022 की बैठक में स्वीकृत नियमों तक को शामिल किया गया है।